



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2216]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 19, 2018/ज्येष्ठ 29, 1940

No. 2216]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 19, 2018/JYAISTHA 29, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

(कुन्थांकुलम पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु)

नई दिल्ली, 18 जून, 2018

**का.आ. 2949(अ).**—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

कुन्थांकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में तिरुनेलवेली जिले के नंगुनेरी तालुक के अंतर्गत **1.2933 वर्ग किलोमीटर** के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें ताजे जल की दो आर्द्रभूमि, अर्थात् कुन्थांकुलम और कदंकुलम हैं। यह नंगुनेरी से लगभग 15 किलोमीटर पश्चिम और तिरुनेलवेली शहर से 35 किलोमीटर दूर कुन्थांकुलम ग्राम में स्थित है। तिरुनेलवेली से सम्पर्क मार्ग मूलकार्यपट्टी से होते हुए जाता है, जो अभयारण्य से 6 किलोमीटर दूर है।

**और**, कुन्थांकुलम पक्षी अभयारण्य उ 08° 29' से उ 08° 30' 15" अक्षांश और पू 77° 45' से पू 77° 51' 30" देशांतर के बीच स्थित है। यह प्रवासी और स्थानीय जल पक्षियों के समूह के लिए जाना जाने वाला एक महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र

है। इसे 1994 में अभयारण्य घोषित किया गया था। अभयारण्य में दो सिंचाई टैंक कुन्थांकुलम (71.02 हेक्टेयर) और कदंकुलम (58.31 हेक्टेयर) हैं जिनकी ओर महत्वपूर्ण पक्षियाँ जैसे ग्रे पेलिकन, पेंटेड स्टोर्क, ग्रेटर फ्लेमिंगो, बार हेडेड गूस, ओपन बिल स्टॉर्क, ब्लैक इबीस और अन्य सामान्य प्रजातियाँ जैसे इगरेट्स, कोरमोरेंट, हेरोन्स आदि आकर्षित होते हैं।

**और**, कुन्थांकुलम आर्द्रभूमि, मनिमुथर सिंचाई नहर से जुड़ी हुई है, जिसमें स्थानीय किसानों द्वारा धान की खेती के लिए नियमित रूप से जल की आपूर्ति होती है। कई बृहत् जल पक्षी, विशेष रूप से पेंटेड स्टोर्क और ग्रे पेलिकन बहुत पहले से कुन्थांकुलम ग्राम के आसपास प्रतिवर्ष घोंसले बनाते हैं। तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ तीनों इन्स प्रजातियाँ एक साथ घोंसला बनाती हैं और सभी तीनों प्रजातियों को कुन्थांकुलम अभयारण्य से अभिलिखित किया गया है। कुन्थांकुलम में, पक्षियों ने 1903 से पहले परंपरागत रूप से पर्यावास के वृक्षों पर घोंसला का बनाए करते थे।

**और**, अभयारण्य तिरुनेलवेली से थीसयनविलाई सड़क पर अवस्थित होने के कारण इस अभयारण्य में गर्मी की छुट्टियों के दौरान बड़ी संख्या में आगंतुक आते हैं। इसी अवधि में बृहत् जलीय पक्षियाँ यहाँ प्रजनन करती हैं और इसलिए, यह एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण स्थान है। स्थानीय पर्यावरण-अनुकूल ग्रामीणों का कार्य का अनुकरणीय है जिसकी सराहना की जानी चाहिए। कुन्थांकुलम एक राजस्व ग्राम है जिसमें लगभग 950 परिवारों की गृहस्थी है। प्रमुख व्यवसाय कृषि और श्रमिक कार्य है।

**और**, दोनों जल भंडारण टैंक अर्थात् कुन्थांकुलम और कदंकुलम नियमित रूप से सामान्य आवधिक चक्र में मणिमुत्तर बांध के माध्यम से तामिरापरानी नहर प्रणाली से जल प्राप्त करते हैं। ये टैंक नहर प्रणाली की तीसरी पट्टी में आते हैं और अगर उचित मानसून जल का स्तर 85-90 फीट से ऊपर जल को हर वैकल्पिक वर्ष में छोड़ा जाता है है। कुछ स्तर से ऊपर जल छोड़ने का कारण यह है कि अभयारण्य टैंक मुख्य नहर की तुलना में बहुत अधिक ऊँचाई पर हैं और जल टैंक तक पहुंचता है, केवल तभी जब पर्याप्त दबाव होता है जो पिछले परीक्षणों से 85-90 फीट से ऊपर जल के स्तर के साथ नोट किया गया है।

**और**, कुन्थांकुलम पक्षी अभयारण्य में वनस्पतियों और जीवजन्तुओं की अच्छी विविधता है। इसमें सामान्य वनस्पति प्रजातियों में थुथी (*अबुटीलॉन इंडिकम (एल.) स्वीटो*), कुरुवेल (*अकाकिया निलोटिका (एल.) डेलिल*), कुपैमिनी (*एसेलेफा इंडिका एल.*), नयुरुवी (*अचिरिन्टीस एस्पेरा एल.*), सानप्पाई (*एग्रेटैम कन्नोजोइड्स एल.*), पोंगल पू (*आरव लानाटा (एल.) जुस*) और महत्वपूर्ण जीवजन्तु ग्रे भारतीय नेवला (*हेर्पेस्टिस एडवर्ड्सआई*), श्री स्ट्रीप्ड पालम स्वैरेल (*फ्रनाम्बुलस पाल्मरम*), एशियाई पाम सिवाट (*पैराडोक्सुरस हेर्मेप्रोडिटस*), और पीटा फॉवल (*पावो क्रिस्टस*) शामिल हैं। यह बड़ी संख्या में पक्षियों जैसे लिटिल ग्रेबे (*टैचिबैप्टस रूफिकोलिस*), स्पॉट-बिल पेलिकन (*पेलेकनस फिलिपेंसिस*), लिटिल कॉर्मोरेंट (*फालाक्रो कोरैक्सनिगर*), ग्रेट कॉर्मोरेंट (*फालाक्रोकोरैक्स कार्बो*), डार्टर (*अर्निंगा मेलेनोगेस्टर*), लिटिल एगेट (*एगेटा गारज़ेटा*), ग्रे हेरॉन (*आर्देया सिनेरेरिया*) आदि का आश्रय प्रदान करता है।

**और**, कुन्थांकुलम पक्षी अभयारण्य में कई दुर्लभ प्रजातियाँ अभिलिखित की गई हैं जिनमें ग्रेट कॉर्मोरेंट (*फालाक्रोकोरैक्स कार्बो*), पर्पल हेरॉन (*आर्देया सिनेरेरिया*), कॉम्ब डक (*सर्किडियोरिस मेलेनोटोस*), नार्थन शोवेलर (*अनास क्लाइपाटा*), और कॉमन टील आदि शामिल हैं। जबकि संरक्षित क्षेत्र में संकटापन्न प्रजातियाँ व्हाइट स्पॉट-बिल्ड पेलिकन (*पेलेकनस फिलिपेंसिस*), पेंटेड स्टोर्क (*माईक्रेरिया लियूकोसेफाला*) पाई जाती हैं।

**अतः**, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु राज्य में कुन्थांकुलम पक्षी अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.34 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को कुन्थांकुलम पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

#### 1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.-

- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार कुन्थांकुलम पक्षी अभयारण्य के चारों ओर **0.34** किलोमीटर से **1.5** किलोमीटर तक है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल **9.74** वर्ग किलोमीटर है।
- (2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध I** के रूप में संलग्न है।
- (3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र **उपाबंध II क-ड** में है।

- (4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची क्रमशः **उपाबंध III (क)** और **(ख)** में दी गई है।
- (5) प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में संलग्न है।

## 2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना :-

- (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।
- (2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप बनायी जाएगी।
- (3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जायगी, :-
- पर्यावरण;
  - वन और वन्यजीव;
  - कृषि;
  - राजस्व;
  - शहरी विकास;
  - पर्यटन;
  - ग्रामीण विकास;
  - सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
  - नगरपालिका;
  - पंचायती राज;
  - लोक निर्माण विभाग;
  - राजमार्ग;
  - तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
- (4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पर्यावरण अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।
- (5) आंचलिक महायोजना में वन रहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
- (6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा। इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।
- (7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।
- (8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय:-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग:**

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, उद्यानों तथा मनोरंजन के प्रयोजन के लिए चिन्हित उद्यानों खुले स्थानों का बड़े वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योग पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा-4 में दिए गए क्रियाकलाप :

(ग) परंतु यह भी कि एवं क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों का अनुपालन किए बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों अथवा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि की, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

(ङ) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि का सुधार में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(च) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करके पर्यावासों एवं जैव विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- सभी प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों/नहरों/जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी। इन क्षेत्रों में या आसपास के क्षेत्रों में प्रतिषिद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए राज्य सरकार द्वारा सख्त दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन:**

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनाई जायेगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इसमें जो भी निकट हो, किसी होटल या रिजार्ट का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक नए होटलों और रिजार्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व परिभाषित एवं अभीहित क्षेत्रों में अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नये होटल/रिजार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आने वाले प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि सभी जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी तथा उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी जो आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी सौंदर्यपरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**- झारखंड राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी विनियमों को लागू करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण**-- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिष्कार का निस्सारण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिष्कार का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट के सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट**- (क) जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान निम्न प्रकार से किया जाएगा :-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई सामान्य उपचार सुविधा या जलाया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन:** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन:** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात:-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां:** - (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण:** - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

**4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले या बढ़ावा दिए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे,

## सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
<b>क.प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप</b>		
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों जिनमें घरों के निर्माण या मरम्मत और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईंटें बनाने हेतु जमीन की खुदाई शामिल है, को छोड़कर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं बृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोड़ने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार में किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुज्ञा होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	नई बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिःस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
<b>ख.विनियमित क्रियाकलाप</b>		
8.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण को छोड़कर संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो,

		सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	<p>(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार का नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:</p> <p>परंतु स्थानीय निवासियों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी जैसे कि :-</p> <p>(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;</p> <p>(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;</p> <p>(iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना;</p> <p>(iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और</p> <p>(v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध प्रोत्साहन दिए गए क्रियाकलाप।</p> <p>(ख) परन्तु गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।</p> <p>(ग) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।</p>
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई।	<p>(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।</p>
12.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रह।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
13.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने और तार-बिछाने एवं तथा बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
14.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
15.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने की वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।



16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जायेगा।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जायेगा।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
19.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
20.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित/अपशिष्ट जल/बहिस्त्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्त्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/ बहिस्त्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
24.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	पोलिथिन बैगों का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
<b>ग. संबंधित क्रियाकलाप</b>		
29.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	अवक्रमित भूमि/वनो/पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

### 5. निगरानी समिति.-

केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए निम्नलिखित को शामिल करके एक निगरानी समिति गठित करती है:-

1.	जिला कलेक्टर, तिरुनेलवेली	अध्यक्ष
2.	उप कलेक्टर / राजस्व सहायक अधिकारी, चेरनहाहादेवी	सदस्य
3.	क्षेत्रीय अधिकारी, तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तिरुनेलवेली	सदस्य
4.	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	सदस्य
5.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला एक जैवविविधता का एक विशेषज्ञ	सदस्य
6.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला एक पारिस्थितिकी और पर्यावरण का एक विशेषज्ञ	सदस्य
7.	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
8.	जिला वन अधिकारी, तिरुनेलवेली	सदस्य सचिव

### 6. विचारार्थ विषय :-

- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।
- (2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
- (3) निगरानी समिति वास्तविक स्थल विशिष्ट दशाओं के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते हैं। इनमें वे क्रियाकलाप शामिल नहीं हैं जो इस अधिसूचना के पैरा 4 में दी गई सारणी में यथा-विनिर्दिष्ट हैं तथा जिन्हें केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के लिए भेजा गया है।
- (4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, परन्तु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल विशिष्ट दशाओं के आधार पर, निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जायेगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जायेगा।

- (5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।
7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन होंगे।

[फा. सं. 25/06/2018-ई एस जेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'


## उपाबंध -I

## पारिस्थितिकी संवेदी जोन के संरक्षित क्षेत्र की सीमा का विवरण

<b>उत्तर</b>	सिलयम टैंक की उत्तरी सीमा से आरंभ होकर और दक्षिण पूर्व दिशा में टैंक की उत्तरी सीमा के साथ जाती है सिलायम सड़क से मिलती है और यह उत्तरी दिशा में मुड़कर कुन्थांकुलम से मुलकार्यिपट्टी सड़क से मिलती है। इसके बाद सीमा पूर्वी दिशा की ओर जाकर दक्षिण में मिलती है और एडुप्पल टैंक पर समाप्त होती है।
<b>उत्तर पूर्व</b>	इसके बाद सीमा उत्तर कदंकुलम ग्राम के उत्तर भाग पर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाकर कदंकुलम से मुन्नंजिपट्टी सड़क से मिलती है।
<b>पूर्व</b>	इसके बाद सीमा दक्षिण दिशा की ओर जाकर कदंकुलम से विजयनारायणम सड़क से मिलकर और पडाईक्कम टैंक से मिलती है।
<b>दक्षिण पूर्व</b>	इसके बाद सीमा पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर जाकर मनीमुथुर कैनल के तीसरी रीच से मिलती है।
<b>दक्षिण</b>	इसके बाद सीमा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाकर मनकुलम ग्राम के दक्षिण भाग से मिलती है।
<b>दक्षिण पश्चिम</b>	इसके बाद सीमा परपदी से कुन्थांकुलम सड़क से मिलकर उत्तर पश्चिम की ओर जाती है और इसके बाद सीमा तन्नावनेरी ग्राम की कृषि भूमि से मिलकर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाती है।
<b>पश्चिम</b>	इसके बाद सीमा उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाती है और इसके बाद यह मुड़कर और सिलयम सड़क से मिलकर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाती है।
<b>उत्तर पश्चिम</b>	इसके बाद सीमा सिलयम टैंक से मिलकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाती है और आरंभिक बिंदु से मिलती है।


उपाबंध-IIक

कुन्थांकुलम पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र




उपाबंध-॥ख

कुन्थांकुलम पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र




उपाबंध-11ग

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) की टोपोशीट पर कुन्थांकुलम पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन का मानचित्र



उपाबंध-11घ


**10 किलोमीटर बफर क्षेत्र के साथ कुन्थांकुलम पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भू-उपयोग मानचित्र**





उपाबंध-11ड

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कुन्थांकुलम पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



**उपाबंध-III****सारणी क: कुन्थांकुलम पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु के प्रमुख स्थानों के अक्षांश-देशांतर**

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर	प्रमुख चिन्ह
1	8°29'35.45"	77°44'57.34"	कन्नकुलम टैंक
2	8°29'47.13"	77°45'8.26"	पश्चिमी सीमा - कृषि क्षेत्र
3	8°30'2.75"	77°45'27.62"	उत्तर-पश्चिम सीमा
4	8°30'9.92"	77°45'30.47"	मुरुगन कुडियारूपू ग्राम
5	8°29'59.91"	77°45'34.26"	कुन्थांकुलम ग्राम
6	8°29'44.49"	77°45'30.13"	वाच टावर
7	8°29'37.19"	77°45'28.75"	जल मार्ग
8	8°29'36.06"	77°45'6.86"	टैंक वॉटर आउटलेट
9	8°29'21.99"	77°46'7.91"	कदंकुलम ग्राम
10	8°29'23.16"	77°46'15.41"	कदंकुलम टैंक आउटलेट
11	8°29'37.05"	77°46'11.93"	कृषि क्षेत्र-कदंकुलम टैंक
12	8°29'21.57"	77°45'31.06"	जल प्रवाह ओदई
13	8°29'9.55"	77°45'38.81"	कदंकुलम जल मार्ग

**सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख स्थानों के अक्षांश-देशांतर**

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर	प्रमुख चिन्ह
ए	8°29'58.96"	77°44'39.39"	सिलयम टैंक
बी	8°30'21.49"	77°45'30.12"	कुन्थांकुलम मुलकार्यिपट्टी सड़क
सी	8°30'30.01"	77°45'55.22"	एडुप्पल टैंक दक्षिण एंड
डी	8°29'55.46"	77°46'43.52"	कन्नकुलम से मुन्नजिपट्टी सड़क
ई	8°29'24.22"	77°46'45.15"	कदणकुलम से विजयनारायणम सड़क
एफ	8°28'57.03"	77°46'47.96"	पथीकिकम टैंक
जी	8°28'45.22"	77°45'9.18"	मंकुलम ग्राम
एच	8°29'6.10"	77°44'43.20"	परपदी से कुन्थांकुलम सड़क

## उपाबंध IV

भू-निर्देशांकों के साथ कुन्थांकुलम पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	तालुक	जिला	अक्षांश (उ) डी एम एस प्रारूप	देशांतर (पू) डी एम एस प्रारूप
1.	सिलयम	तिरुनेलवेली	तिरुनेलवेली	8°29'52.96"	77°44'56.85"
2.	मंकुलम	तिरुनेलवेली	तिरुनेलवेली	8°28'50.16"	77°45'17.20"
3.	कदंकुलम	तिरुनेलवेली	तिरुनेलवेली	8°29'14.96"	77°46'7.06"
4.	वडक्कु कदंकुलम	तिरुनेलवेली	तिरुनेलवेली	8°29'49.31"	77°46'16.19"
5.	कुन्थांकुलम	तिरुनेलवेली	तिरुनेलवेली	8°29'49.31"	77°45'39.35"

**उपाबंध V****पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट का प्रपत्र**

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE****NOTIFICATION****(Koonthankulam Bird Sanctuary, Tamil Nadu)**

New Delhi, the 18th June, 2018

**S.O. 2949(E).**—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: [-esz-mef@nic.in](mailto:-esz-mef@nic.in)

**Draft Notification**

**WHEREAS**, Koonthankulam Bird Sanctuary spread over an area of **1.2933 sq. km.** comes under Nanguneri taluk of Tirunelveli District in Tamil Nadu and comprises of two fresh water wetlands, namely Koonthankulam and Kadankulam. It is located at Koonthankulam village, about 15 km west of Nanguneri and 35 km from Tirunelveli city. The approach road from Tirunelveli is through Moolakaraipatti, which is 6kms away from the sanctuary.

**AND WHEREAS**, the Koonthankulam Bird Sanctuary lies between N 08° 29' N to 08° 30' 15" Latitudes and E 77° 45' E to 77° 51' 30" Longitudes. It is an important protected area known for the congregation of migratory and local water birds. It was declared as sanctuary in 1994. The sanctuary consists of two irrigation tanks Koonthankulam (71.02 ha) and Kadankulam (58.31 ha) attracting important birds like Grey pelican, Painted stork, Greater flamingo, Bar headed goose, Open bill stork, Black Ibis and other common species like Egrets, Cormorants, Herons, etc.

**AND WHEREAS**, the Koonthankulam wetlands, being linked to the Manimuthar irrigation canal, receive regular water supply for cultivation of paddy by the local farmers. Many large water birds, especially the Painted Stork and Grey Pelicans have been annually nesting around Koonthankulam village over a long period. Tamil Nadu is the only state where all the three ibis species nest together and all the three species have been recorded from Koonthankulam Sanctuary. At Koonthankulam, birds used to nest traditionally on trees growing amidst habitation even before 1903.

**AND WHEREAS**, the sanctuary is being situated on the Tirunelveli to Thisayanvilai Road the sanctuary, attracted large number of visitors during the summer vacation. This period coincides with the active breeding season of many of the large water birds and hence, is a major tourist attraction. The role of the local eco-friendly villagers is of exemplary order

which needs to be appreciated. Koonthankulam is a revenue village having total households of about 950 families. The major occupation is agriculture and labour work.

**AND WHEREAS**, both the water storage tanks i.e. Koonthankulam & Kadankulam gets water from Tamiraparani canal system through Manimuttar Dam in a routine periodical turn. These tanks come in 3<sup>rd</sup> reach of the canal system and water is released every alternate year in case of proper monsoon and if water level of dam is above 85-90 ft. The reason for water release above certain level is that, the Sanctuary tanks are at much higher elevation than the main canal and water reaches the tank, only when there is enough pressure which is noted with water level above 85-90 ft by past trials.

**AND WHEREAS**, the Koonthankulam Bird Sanctuary has good diversity of flora and fauna, the common floral species include Thuthi (*Abutilon indicum* (L.) Sweet), Kuruvel (*Acacia nilotica* (L.) Delile), Kuppaimeni *Acalypha indica* (L.), Nayuruvi (*Achyranthes aspera* L.), Sanappai (*Ageratum conyzoides* L.), Pongal Poo (*Aerva lanata* (L.) Juss) and important fauna are Indian Grey Mongoose (*Herpestes edwardsii*), three striped palm Squirrel (*Funambulus palmarum*), Asian Palm civet (*Paradoxurus hermaphrodites*), and Pea fowl (*Pavo cristatus*). It supports large number of birds, e.g. Little Grebe (*Tachybaptus ruficollis*), Spot-billed Pelican (*Pelecanus philippensis*), Little Cormorant (*Phalacrocorax nigripennis*), Great Cormorant (*Phalacrocorax carbo*), Darter (*Anhinga melanogaster*), Little Egret (*Egretta garzetta*), Grey Heron (*Ardea cinerea*) etc.

**AND WHEREAS**, the Koonthankulam Bird Sanctuary has recorded many rare species which include Great Cormorant (*Phalacrocorax carbo*), Purple Heron (*Ardea cinerea*), Comb Duck (*Sarkidiornis melanotos*), Northern Shoveller (*Anas clypeata*), and Common Teal etc. While Spot-billed Pelican (*Pelecanus philippensis*), Painted Stork (*Mycteria leucocephala*) are the threatened species found in the protected area.

**NOW THEREFORE**, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varying from **0.34 kilometres to 1.5 kilometres** around the boundary of Koonthankulam Bird Sanctuary in the State of Tamil Nadu as the Koonthankulam Bird Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

**1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** - (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from **0.34 kilometres to 1.5 kilometres** around the Koonthankulam Bird Sanctuary. The area of the Eco-Sensitive Zone is **9.74 square kilometres**.

(2) The boundary description of the Eco Sensitive Zone is appended at **Annexure I**.

(3) The map of the Protected Area demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at **Annexure IIA-E**.

(4) List of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-Sensitive Zone is at **Annexure III (A) and (B)** respectively.

(5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure IV**.

**2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.** - (1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-Sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of Final Notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this Notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating environmental and ecological considerations into the said plan:

- (i) Environment;
- (ii) Forest and Wildlife;
- (iii) Agriculture;
- (iv) Revenue;
- (v) Urban Development;
- (vi) Tourism;
- (vii) Rural Development;
- (viii) Irrigation and Flood Control;
- (ix) Municipal;
- (x) Panjayati Raj;

- (xi) Public Works Department;
- (xii) Highways;
- (xiii) Tamil Nadu State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

**3. Measures to be taken by State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

**(1) Land use. –**

- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.
- (b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:
  - (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
  - (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
  - (iii) Small scale industries not causing pollution;
  - (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
  - (v) Promoted activities and given in paragraph 4;

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

**(2) Natural water bodies. -** The catchment areas of all natural springs/rivers/channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

**(3) Tourism/ Eco-tourism:**

- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
  - (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
  - (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
  - (d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
    - (i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the protected area or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.
    - (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;
    - (iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.
- (4) **Natural Heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** - The Environment Department of the State Government or Tamil Nadu State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made there under and amendments thereto.
- (8) **Discharge of effluents.** - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made there under or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.** - Disposal and Management of solid wastes shall be as under:
- (a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
  - (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste.** - Bio-medical waste management shall be as under:
- (a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification Number GSR 343 (E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2016 as amended from time to time.
  - (b) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.
- (11) **Plastic Waste Management.**- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of

Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management.** - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste.** - The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made there under.

(15) **Vehicular Pollution.** - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) **Industrial Units.-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of Hill Slopes:** The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

#### 4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone:

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) the Wildlife(Protection) Act 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
<b>A. Prohibited Activities</b>		
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals) stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumalpad vz. UOI in W.P. (C) No. 202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation z. UOI in W.P. (C) No. 435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Sol, Noise, etc) .	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.



3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances .	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
<b>B. Regulated Activities</b>		
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new road; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (b) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
11.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.

13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted.
14.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws
15.	Establishment of large scale commercial live stock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws
16.	Infrastructure civic amenities .	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
24.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings .	Regulated under applicable laws.
<b>C. Promoted Activities</b>		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc to be actively promoted.
34.	Agro-Forestry .	Shall be actively promoted.
35.	Use of eco-friendly transport .	Shall be actively promoted.
36.	Skill Development .	Shall be actively promoted.
37.	Restoration of Degraded Land/Forests/Habitats.	Shall be actively promoted.
38.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

### 5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification

The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), comprising of the following namely:-

9.	District Collector, Tirunelveli	Chairman
10.	Sub Collector/ Revenue Divisional Officer, Cheranmahadevi	Member
11.	Regional Officer, Tamil Nadu Pollution Control Board, Tirunelveli	Member
12.	A representative of Non-government Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by State Government	Member
13.	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member
14.	An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member
15.	A representative from State Public Works Department	Member
16.	District Forest officer, Tirunelveli	Member Secretary

#### 6. Terms of Reference. –

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31<sup>st</sup> March of every year by the 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma given in **Annexure V**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.


[F. No. 25/06/2018-ESZ]  
LALIT KAPUR, Scientist 'G'

**ANNEXURE- I****BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA**

<b>North</b>	Starting from northern boundary of Silayam tank and run along the same northern boundary of the tank in a south east direction to meet silayam road and its turn northern direction to meet Koonthankulam to Moolakaraipatti road. Thence the boundary runs towards eastern direction meet south end of Eduppal tank.
<b>North East</b>	Thence the boundary runs towards south east direction on north side of North Kadankulam village to meet Kadankulam to Munanjipatti road.
<b>East</b>	Thence the boundary runs towards south direction to meet Kadankulam to Vijayanarayanam road and to meet Padaikkam tank.
<b>South East</b>	Thence the boundary runs towards east and south direction to meet 3 <sup>rd</sup> reech of manimuthar canal.
<b>South</b>	Thence the boundary runs towards north west direction to meet south side of Mankulam Village.
<b>South West</b>	Then runs the boundary runs towards north west to meet Parapadi to Koonthankulam road and thence the boundary towards north west direction to meet agriculture land of Tennavaneri village.
<b>West</b>	Thence the boundary runs towards north east direction and then turns to it and runs towards north west direction to meet silayam road.
<b>North West</b>	Thence the boundary runs towards north east direction to meet Silayam tank and to meet starting point.


**ANNEXURE- IIA**

**GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KOONTHANKULAM BIRD SANCTUARY**




**ANNEXURE- IIB**

**GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KOONTHANKULAM BIRD SANCTUARY**




**ANNEXURE- IIC**

**MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KOONTHANKULAM BIRD SANCTUARY ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET**



**ANNEXURE- IID**


**LANDUSE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KOONTHANKULAM BIRD SANCTUARY ALONG WITH 10 KM BUFFER**





**ANNEXURE- IIE**

**MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KOONTHANKULAM BIRD SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS**



## ANNEXURE-III

**TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Koonthankulam Bird Sanctuary, Tamil Nadu**

S. No	Latitude	Longitude	Prominent mark
1	8°29'35.45"	77°44'57.34"	Kannankulam Tank
2	8°29'47.13"	77°45'8.26"	Western boundary -Agriculture field
3	8°30'2.75"	77°45'27.62"	North-west boundary
4	8°30'9.92"	77°45'30.47"	Murugan Kudiyiruppu village
5	8°29'59.91"	77°45'34.26"	Koonthankulam village
6	8°29'44.49"	77°45'30.13"	Watch tower
7	8°29'37.19"	77°45'28.75"	Sluice
8	8°29'36.06"	77°45'6.86"	Tank water outlet
9	8°29'21.99"	77°46'7.91"	Kadankulam village
10	8°29'23.16"	77°46'15.41"	Kadankulam tank outlet
11	8°29'37.05"	77°46'11.93"	Agri field-Kadankulam tank
12	8°29'21.57"	77°45'31.06"	Water flow odai
13	8°29'9.55"	77°45'38.81"	Kadankulam sluice

**TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone**

S. No	Latitude	Longitude	Prominent mark
A	8°29'58.96"	77°44'39.39"	Silayam Tank
B	8°30'21.49"	77°45'30.12"	Koonthankulam Moolakaraipatti road
C	8°30'30.01"	77°45'55.22"	Eduppal Tank South end
D	8°29'55.46"	77°46'43.52"	Kadankulam to Munanjipatti road
E	8°29'24.22"	77°46'45.15"	Kadankulam to Vijayanarayanam road
F	8°28'57.03"	77°46'47.96"	Pathaikkam tank
G	8°28'45.22"	77°45'9.18"	Mankulam village
H	8°29'6.10"	77°44'43.20"	Parapadi to Koonthankulam road

**ANNEXURE-IV****LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF KOONTHANKULAM BIRD SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES**

S. No.	Village Name	Taluk	District	Latitude (N) DMS format	Longitude (E) DMS format
1.	Silayam	Tirunelveli	Tirunelveli	8°29'52.96"	77°44'56.85"
2.	Mankulam	Tirunelveli	Tirunelveli	8°28'50.16"	77°45'17.20"
3.	Kadankulam	Tirunelveli	Tirunelveli	8°29'14.96"	77°46'7.06"
4.	Vadaku Kadankulam	Tirunelveli	Tirunelveli	8°29'49.31"	77°46'16.19"
5.	Koonthankulam	Tirunelveli	Tirunelveli	8°29'49.31"	77°45'39.35"

**Annexure -V****Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.  
Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.